महिला की मौत मामले में भाई ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाये

भाई का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने मेरी बहन को मार डाला

पावटा, (निसं)। पावटा के ग्राम खेलना की बेटी के साथ एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने उसकी बहन को दहेज के लालच में ससुराल वालों पर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने व जान से मारने के आरोप लगाए हैं।

भाई मुकेश कुमार मीणा का कहना है कि उनकी बहन को आए दिन उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करते रहते थे। उन्होंने अब बहन काजल से रुपयों पैसों व गाड़ी की मांग की थी, जिसकी मांग पूरी न करने पर ससुराल वालों ने उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर उसको मार दिया। मुकेश कुमार मीणा पुत्र कल्याण सहाय मीणा निवासी खेलना ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि बताया कि साल 2022 में उसकी बहन काजल की शादी भूपेंद्र कुमार मीणा पुत्र सुरेश कुमार मीणा निवासी जोधपुरा के साथ हुई थी। मुकेश ने कहा कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी बहन काजल को उसके ससुराल वाले परेशान कर रुपए पैसों व गाड़ी की मांग करने लगे। उन्होंने मांग पूरी करने या घर से निकालने की धमकी दी व उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिस पर समझाइश करने पर उन्होंने गलती मानते हुए फिर से ऐसा नहीं करने की बात कही, लेकिन वो फिर से बहन काजल को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, लेकिन बहन काजल लोक लज्जा के कारण चुपचाप सब सहन करती रही। अचानक गत 18 अप्रैल को मध्यरात्रि बहन काजल का फोन आया व उसने कहा कि मेरे सास, ससुर व पति मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं आकर मुझे बचा लो, यह मुझे जान से मार देंगे। जिस पर रात अधिक होने

मृतका की फाइल फोटो।

के कारण अगले दिन सुबह जल्दी ही छोटा भाई अमित व भांजा गौतम जोधपुरा उदयपुरवाटी बहन काजल के ससुराल पहुंचे, जहां बहन काजल की

■ **मृतका के भाई के बयानों पर पति, ससुर, सास आदि के खिलाफ मामला दर्ज हुआ**

हालत खराब देख घर खेलना ले आए, लेकिन उसकी तबियत बिगड़ती देख उसे पावटा एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए वहां भी हालत गंभीर देख उसे जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। जहां जांच के दौरान पता चला कि वह गर्भवती है जिस पर उसे जानना अस्पताल जयपुर भेज दिया गया। वहां चिकित्सकों ने बताया कि बच्चा पेट में खत्म हो गया है।

मुकेश ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि बहन काजल के साथ बहुत ही दरिंदगी की गई है। जिस पर उसकी डिलेवरी कर उसे वापस जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां 24 अप्रैल मंगलवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। भाई मुकेश ने बताया कि उसके ससुराल वाले बहन काजल के साथ मारपीट व मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी करते थे। ऐसे में उन्होंने पुलिस में नामजद मामला दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में थाना उदयपुरवाटी झुंझनू में मृतक के भाई के बयानों पर आरोपी पति भूपेंद्र कुमार मीणा, ससुर सुरेश कुमार मीणा, सास सोमवती मीणा, रतन मीणा पुत्र फत्ताराम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मायका पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया काजल का पोस्टमार्टम कराकर पीहर पक्ष परिजनों को सौंप दिया है। जहां पीहर पक्ष द्वारा मृतका का अंतिम संस्कार किया गया।

हत्या के प्रयास में फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार

ब्यावर, (निसं)। पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब दो माह से फरार चल रहा था। प्रकरण में पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार व 1 नाबालिग को निरूद्ध किया जा चुका है।

जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व वृताधिकारी के निकट सुपरविजन में थानाधिकारी पुलिस थाना ब्यावर सदर मय टीम द्वारा पिछले करीब दो माह से हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। 22 फरवरी को प्रार्थी देवेन्द्र रेगर निवासी सरगांव ने पुलिस थाना सदर पर प्रकरण दर्ज करवाया कि आरोपी ने हमें सरगालिया चौराहे पर बुलाया जहां डांस की बात को लेकर बोलचाल हो गई। हमें देखते ही रितेश गोरा जातिसूचक गाली- गलौच करते हुए हमें जान से मारने की नियत से चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। जिस पर प्रकरण दर्ज कर मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया जाकर टीम द्वारा प्रकरण में पूर्व में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा एक विधि से संघर्षरत बालक को निरूद्ध किये जा चुका है। प्रकरण में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हेतु सूचना संकलन व तकनिकी डाटा विशलेषण के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी का डिटेन कर गहनता से पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि हमारे बीच शादी प्रोग्राम में किसी बात को लेकर विवाद हो जाने के कारण मैने व मेरे दोस्तों ने मिलकर उक्त वारदात को अंजाम दिया। जिस पर आरोपी ग्राम देलवाड़ा निवासी रितेश गोरा पुत्र शंकरलाल जाट को गिरफ्तार किया गया।

शराब ठेके को लेकर क्षेत्रवासियों का प्रदर्शन

■ **लोगों ने मुख्य मार्ग जाम कर दुकान का बैनर जलाया**

अजमेर, (कासं)। शहर में गली-मोहल्लों में खुले शराब ठेकों को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे है। शनिवार को नारीशाला रोड स्थित अशोक नगर में शराब के ठेके के संचालन को लेकर क्षेत्रवासी महिला-पुरुषों ने विरोध प्रदर्शन किया। सड़क मार्ग जाम कर दुकान का बैनर जलाकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन से शराब का ठेके शीघ्र हटाने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों क्षेत्रवासी महिला-पुरुषों का कहना रहा कि नारीशाला रोड स्थित अशोक नगर में जो शराब का ठेका संचालित किया जा रहा है शराब ठेके के पास ही एक स्कूल संचालित है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव सागर मीणा ने बताया कि तीन साल पहले भी नारीशाला रोड सैनी स्वीमिंग पुल के पास शराब का ठेका खोला गया था, तब भी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ठेका बंद कर दिया गया, क्षेत्रवासियों की मांग की है कि क्षेत्र में ठेका नहीं खोला जाए, लेकिन जिला प्रशासन और आबकारी विभाग द्वारा हठधर्मिता अपनाते हुए पुनः शराब का ठेका खोला जा रहा है। मीणा ने कहा कि बस्तियों में इस प्रका के ठेके खोले जा रहे हैं, जिससे स्कूली बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस ठेके को निरस्त किया जाए, निरस्त नहीं होने पर प्रदर्शन जारी रहेगा।

वहीं स्थानीय निवासी अनु शर्मा, जगदीश, चंचल चौहान सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने कहा कि शराब ठेके को लेकर पहले भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ठेके को बंद करवाया था, लेकिन फिर से ठेके के संचालन की अनुमति विभाग द्वारा दी गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना रहा कि ठेके के कारण अराजकतत्वों की मौजूदगी से क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बन रहा है। महिलाओं का निकला दुश्वार हो रहा है, प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर से ठेके को बंद करने अथवा अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही उनकी मांग का निराकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

सड़क हादसे में महिला की मौत

टोंक, (निसं)। मेहंदवास थाना क्षैत्र स्थित हाइवे के पास खेत से ईधन लेकर लौट रही महिला को ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई।

मेहंदवास थानाधिकारी ने बताया कि मृतका भूली देवी सेनी पत्नी बद्री लाल निवासी मेहंदवास जो सुबह खेत पर गई थी, लौटते समय जलाने के लिए ईधन सिर पर रखकर आ रही थी। इसी बीच जयपुर-कोटा हाइवे पर सड़क किनारे चल रही भूली देवी को ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे की सूचना पर मेहन्दवास पुलिस पहुंची तथा एम्बुलेंस से घायल भूली को सआदत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस नेपोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

आरोपी गिरफ्तार

बौंली-बामनवास, (निसं)। नाबालिग बालिका को बहलाकर भाग ले जाने के आरोपी विशाल पटेल निवासी इंदिरा कॉलोनी जवाहर नगर थाना पंतनगर जिला उधमसिंह (उत्तराखंड) को बौंली पुलिस ने गिरफ्तार किया। बौंली पुलिस थाने के हैड कांस्टेबल धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि 17 अप्रैल को परिवादी ने मामला दर्ज कराया था।

कार की टक्कर से एक की मौत

मालपुरा, (निसं)। टोडारायसिंह-बिसलपुर सड़क मार्ग पर काली मिर्ची खान के पास कार के पीछे से अन्य वाहन के द्वारा टक्कर मारने से कार सवार एक युवक की मौत हो गई वहीं दो जने घायल हो गये। मृतक के भाई की और से थाना पुलिस को दी रिपोर्ट मे बताया कि मृतक गोविन्द वर्मा पुत्र पूरणमल निवासी छोटी डाबर जिला टोंक अपने दोस्त राहुल खटीक व रिश्तेदार सुरज वर्मा के साथ कार से टोंक जा रहे थे। इसी दौरान प्रधान नगर मोड़ के पास कार को अन्य वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे कार असंतुलित हो पुलिया से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक जने की मौत हो गई और दो जने घायल हो गये।

बिना मान्यता के चल रहे स्कूल के खिलाफ लोगों का धरना जारी

■ **अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है,स्कूल न केवल बिना मान्यता के चल रहा है, बल्कि 8 से 15 हजार रुपए तक की फीस वसूलने के साथ 1500 रुपए में अनिवार्य एप इंस्टॉल भी करवा रहा है**

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां सुखाड़िया सर्किल के सामने स्थित श्री चैतन्य स्कूल के खिलाफ अभिभावकों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिना मान्यता के संचालित हो रहे इस स्कूल के खिलाफ शुक्रवार को शुरू हुआ धरना शनिवार को भी जारी रहा। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि स्कूल न केवल बिना मान्यता के चल रहा है, बल्कि 8 से 15 हजार रुपए तक की फीस वसूलने के साथ 1500 रुपए में अनिवार्य एप इंस्टॉल भी करवा रहा है। किताबें भी स्कूल से ही जबरन दिलवाई जा रही हैं। जब बच्चों की छुट्टी का समय हुआ तो स्कूल प्रबंधन ने मुख्य गेट बंद कर दिया, जिससे बच्चों को बाहर निकलने में परेशानी हुई। नाराज अभिभावकों ने पुलिस को बुलाया, जिन्होंने गेट खुलवाया। इस दौरान हंगामा भी हुआ। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने स्पष्ट किया कि श्री चैतन्य स्कूल के पास संचालन की वैध मान्यता नहीं है। डीईओ ने कहा कि स्कूल ने मान्यता के लिए आवेदन अवश्य किया है, लेकिन अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आज भी दर्जनों अभिभावकों ने स्कूल परिसर के बाहर प्रदर्शन जारी रखा। स्कूल प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। वहीं शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

तलवार लहराते एक व्यक्ति गिरफ्तार

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ़ थाना पुलिस ने गश्त के दौरान शनिवार को धारदार तलवार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि एरिया डोमिनेशन अभियान की कार्रवाई अंतर्गत सूचना मिली कि राजगढ़ कस्बे में मोहल्ला नरडिान में पिलानी फाटक व बहल फाटक के बीच रेलवे लाइनों के पास एक व्यक्ति गलियों में धारदार तलवार लहरा रहा है।

सूचना मिलते ही एसआई धर्मेंद्र सिंह पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति तलवार लहराता हुआ गलियों में घूम रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को दबोच कर नाम पता पूछा तो अपना नाम मोहम्मद हुसैन कायमखानी निवासी वार्ड नंबर 25 राजगढ़ होना बताया। तलवार का कोई लाइसेंस परमिट के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धारदार तलवार बरामद किया है।

सट्टा खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई, तीन गिरफ्तार

ब्यावर, (निसं) जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व वृताधिकारी के निकट सुपरविजन में जिला स्पेशल टीम व थानाधिकारी पुलिस थाना ब्यावर सिटी मय टीम ने रूपये पैसों का दांव लगाकर सट्टा खेलते तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे से 36 हजार रुपये जब्त किये।

■ **छक्कादाना से रूपये पैसे से दांव लगाकर सट्टा खेल रहे थे**

प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को जिला स्पेशल टीम व थानाधिकारी पुलिस थाना ब्यावर सिटी को मुखबीर से सूचना मिली कि नगर परिषद के पास 3-4 व्यक्ति छक्कादाना से रूपये पैसों का दांव लगा कर सट्टा खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा

पुलिस ने जुआ सट्टा के आरोपियों को गिरफ्तार किया।

तो तीन व्यक्ति बैठे नजर आये। तीनों व्यक्ति पुलिस जाप्ता देख भागने लगे, जिस पर घेरा देकर तीनों को डिटेन किया जाकर देखा तो उक्त तीनों छक्कादाना पर रूपये पैसों का दांव लगा कर सट्टा खेल रहे हैं। जिनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 36,600 रूपये मिले जिनको जब्त कर ललित कुमार शर्मा पुत्र गिरधारी लाल शर्मा, शोयब छिपा पुत्र रफीक छीपा, मौहम्मद ऐजाज पुत्र ईकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया।

मारपीट कर नकदी लूटी

उदयपुर, (निसं)। सुखेर थाना पुलिस ने मारपीट कर मौलाना से रूपये छीनने वाले दो आरोपियों को डिटेन किया। प्रकरण के अनुसार शुक्रवार रात में यूपी हॉल रूपनगर कच्ची बस्ती निवासी मुस्तकीम रजा पुत्र शहादत हुसैन के साथ आरोपी यूपी हॉल रूपनगर कच्ची बस्ती निवासी आकाश पुत्र वीरमा तथा सतिश पुत्र सीताराम मारपीट कर 25 हजार रूपये नकदी छीन ले गए। इस मामले की सूचना मिलने पर सुखेर थानाधिकारी रविन्द्र चारण के नेतृत्व में गठित दल ने आरोपी आकाश व सतिश को डिटेन किया है। मुस्तकीम रजा रूपनगर कच्ची बस्ती में मौलाना है जो रात में अपने भाई के मकान अलीपुरा जा रहे थे, जहां बीच रास्ते में आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे।

डॉ. गौरव गोंबर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर चिकित्सकों ने आपत्ति जताई

■ **प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से डॉ. गोंबर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की**

बीकानेर, (निसं)। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव गोंबर के खिलाफ सदर थाने में दर्ज एफआईआर पर चिकित्सा समुदाय में असंतोष व्याप्त है। इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), मेडिकल प्रैक्टिशनर्स सोसाइटी (एमपीएस) और उपचार संगठन के पदाधिकारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव गोंबर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आपत्ति जताई और इसे अनुचित बताया।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 4 मार्च को पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक द्वारा गठित पांच सदस्यीय विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड ने डॉ. गोंबर को किसी भी प्रकार की लापरवाही से मुक्त पाया था। इस बोर्ड में न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक सर्जन और मेडिकल ज्यूरिस्ट शामिल थे। इसके बावजूद, 21 मार्च को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. पुखराज साध ने दो सदस्यीय बोर्ड का गठन किया, जिसमें खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश कुमार गुप्ता और सिटी डिस्पेंसरी नंबर एक के पीडियाट्रिशियन डॉ. मुकेश जनागल शामिल थे। इस बोर्ड ने उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की। हालांकि, 17 अप्रैल को इसी बोर्ड ने डॉ. गोंबर को लापरवाह ठहराया, जबकि दोनों रिपोर्टों में केवल तारीख और कुछ पंक्तियों का अंतर था।

प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि सीएमएचओ द्वारा गठित बोर्ड ने न तो डॉ. गोंबर को बुलाया, न ही उनका पक्ष सुना, जो प्रक्रिया की गंभीर अनदेखी है। उन्होंने यह भी बताया कि पीबीएम मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद सीएमएचओ द्वारा की गई जांच का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह निचले स्तर की जांच है और उसमें विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल नहीं थे। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा 29 मई 2022 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार चिकित्सकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एएसआई अशोक अदलान ने इस एसओपी का उल्लंघन करते हुए डॉ. गोंबर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और डॉ. गोंबर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किया जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि ऐसे मामलों में चिकित्सकों को निशाना बनाया जाता रहा, तो इससे चिकित्सा समुदाय में भय का माहौल बनेगा और समाज को योग्य चिकित्सकों की सेवाओं से वंचित होना पड़ेगा।

हत्या के प्रयास में बदमाश गिरफ्तार

■ **आरोपी के खिलाफ सात अपराधिक प्रकरण दर्ज है**

उदयपुर, (निसं)। बडगांव थाना पुलिस ने हत्या करने के प्रयास में एक बदमाश को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार 17अप्रैल को पीड़ित गुलाबसिंह पुत्र रामसिंह निवासी गुरू की पालड़ी बडगांव ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। जिसमें उसने बताया कि 16 अप्रैल रात में पाली गांव में रोड़ पर दो व्यक्ति हल्ला कर रहे थे। जिनको टोकने पर एक व्यक्ति ने स्वयं को हुकमसिंह बेदला बताते हुए धमकाते हुए चले गए। आज सांय हुकमसिंह बेदला व साथी बाइक पर मेरे घर आए तथा सरिये से सिर पर हमला कर दिया। चिल्लाने पर आरोपी फरार हो गए। मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक कैलाश चन्द्र के सुपरविजन में बडगांव थानाधिकारी पूरणसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में गठित दल ने आसूचना एव तकनीकी अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हुकमसिंह पुत्र मनोहरसिंह निवासी आस्था ट्रेनिंग सेटर के पास बेदला को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास के तीन, डकैती का एक, मारपीट व हथियार रखने का एक प्रकरण सहित सात अपराधिक प्रकरण पूर्व में दर्ज है।

अवैध अफीम जब्त

उदयपुर, (कासं)। चित्तौड़गढ़ की बस्सी तहसील के संग्रामपुर गांव में एक घर पर छापा मारकर अवैध अफीम जब्त की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा ने बताया कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जयपुर प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने 25 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी तहसील के संग्रामपुर गांव में एक घर पर छापा मारकर 1 किलो 085 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

वांछित दो जनों सहित सात संदिग्ध गिरफ्तार

■ **सभी आरोपियों से पूछताछ कर न्यायालय में पेश किया गया**

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ़ थाना पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित दो व्यक्तियों सहित सात संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों से पूछताछ कर न्यायालय में पेश किया गया।

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से चलाए गए एरिया डोमिनेशन अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल के निर्देशन में गठित टीमों ने अलग-अलग जगह पर दबिश देकर हार्डकोर, भगोड़े, स्थाई वारंटी एवं मामलों में वांछित आरोपी व संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की। अभियान अंतर्गत वांछित आरोपी आर्म्स एक्ट अंतर्गत मोहम्मद हुसैन पुत्र नासिर खान कायमखानी को गिरफ्तार किया गया।

इसके अलावा बीएनएस में वांछित आरोपी ओमप्रकाश उर्फ बल्लू पुत्र मांगेराम नाई निवासी बिरही कलां पुलिस थाना दादरी जिला चरखी दादरी हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा शहर में संदिग्ध घूम रहे मीर सिंह जाट निवासी धीन्धवा बिचला पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनूं,अरविंद कुमार जाट, राहुल जाट, नरेंद्र कुमार जाट निवासीगण दुधवा खारा चूरू, जैन पुत्र बाबूराम सांसी निवासी माता मंडी वार्ड नंबर 2 राजगढ़, रखमान उर्फ रुस्तम तेली निवासी वार्ड 33 राजगढ़, राम सैनी निवासी वार्ड नंबर 15 अग्रसेन नगर चूरु जिला चूरू को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ कर न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायाधिपति गर्ग ने चूरू न्यायालय के भवन का शिलान्यास किया

चूरू कोर्ट को मिलेगी आधुनिक भवन की सौगात, हाईकोर्ट के जजों ने आधारशिला रखी

चूरू (निसं)। पुलिस लाइन में आवंटित भूमि पर न्यायालय के नये भवन की आधारशिला शनिवार को समारोहपूर्वक रखी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति व चूरू न्याय क्षेत्र के संरक्षक मनोज गर्ग थे। वहीं न्यायाधिपति कुलदीप माथुर व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सैनी ने की। इस अवसर पर आगंतुक अतिथियों ने भूमि पूजन कर भवन की आधारशिला रखी और शिलालेख पट्टिका का अनावरण किया। पं. रवि षर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना करवायी।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये जस्टिस मनोज गर्ग ने कहा कि न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण में वर्तमान समय को देखते हुए भवन का वास्तु एवं नक्शा तैयार किया गया है। उन्होंने उपस्थित अधिवक्ताओं व न्यायिक अधिकारियों को नवीन न्यायालय के निर्माण की शुभकामनाएं देते हुए लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण में अधिवक्ताओं से सहयोग का आव्हान किया। समारोह को संबोधित करते हुए जस्टिस कुलदीप माथुर ने कहा कि वर्तमान समय में मामलों का त्वरित निस्तारण करने वाले जज व वकीलों के आगे बढ़ने के अवसर ज्यादा होते हैं। चूरू के अधिवक्ता व न्याय विभाग को लम्बे समय से विशाल भवन की आवश्यकता थी, जो अब पूरी होने जा रही है। इस दौरान चूरू जिले से आये बार अध्यक्ष व अन्य प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी मांगों को लेकर चूरू न्याय क्षेत्र के संरक्षक मनोज गर्ग को ज्ञापन सौंपा।

कार्यक्रम में जिला संरक्षक बीरबल सिंह लाम्बा, आशाराम सैनी, अनंतराम सोनी, हकीम खान, पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह शेखावत, रोशन सिंह राठौड़, वरुण सैनी, माणक चंद भाटी, जिला अभिभाषक संघ के प्रवक्ता ओमप्रकाश वर्मा, अभिषेक टावरी, ललित गौतम, धनराज सैनी, काशीराम शर्मा सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम के अन्त में पहलगाम के मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

राज. केन्द्रीय विश्वविद्यालय में मांगों को लेकर एबीवीपी का धरना जारी

■ **अभाविप के प्रदेश मंत्री जितेंद्र लोधा धरना स्थल पर पहुंचे**

अजमेर, (कासं)। राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव के रवैये, विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को छात्रावास से निष्कासित करने के तुगलकी फरमान के विरोध में विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के आगे चल रहा ए.बी.वी.पी. का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा।

विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष रामूराम जानी ने बताया कि विद्यार्थी लगातार तीसरे दिन भी भयंकर तपती धूप में धरने पर बैठे हैं। इस दौरान कुछ विद्यार्थियों की तबियत भी खराब हुई, लेकिन फिर भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अब भी मजबूती से डटे हुए हैं। धरना प्रदर्शन शुक्रवार रात को भी जारी रहा और छात्रावास से निष्कासित सभी विद्यार्थी रात को धरना स्थल पर ही सोए। इससे पूर्व इस मामले में ।।क्रोश रैली निकाली गई थी तथा अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर भी कुलपति का पुतला फूंक कर कार्यकर्ताओं ने अजमेर जिला कलेक्टर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान एबीवीपी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र लोधा ने चेतावनी दी थी कि जल्द मांगें नहीं मानी गई तो संपूर्ण राजस्थान में कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। जितेंद्र लोधा आज धरना स्थल पर भी पहुंचे। इस मामले में शुक्रवार को विश्वविद्यालय कुलसचिव अमरदीप शर्मा ने विद्यार्थियों की मांग सुनने एवं धरने पर बैठे विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए छह प्राध्यापकों की एक कमेटी का गठन किया। दोपहर बाद कमेटी धरना स्थल पर पहुंची तथा विद्यार्थियों से चर्चा कर लिखित में मांग पत्र मांगा। जिस पर एबीवीपी ने विद्यार्थियों के निष्कासन को वापस लेने, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा पारित 300 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन प्रतिबंध के आदेश पर पुनर्विचार करने तथा हॉस्टल में पेयजल सहित विभिन्न समस्याओं के निवारण की मांग की।

विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने धरने को दबाने के लिए यहाँ पर आने वाले विद्यार्थियों की गेट पर डीटेल्स लिखवाना शुरू कर दिया है ताकि उन्हें टारगेट करके, दबाव बनाकर धरने में शामिल नहीं होने के लिए डरा धमका सके। प्रदेश मंत्री लोधा ने कहा कि वीसी साहब खुद ए.सी. की हवा में बैठे हैं और कैंपस की मूलभूत समस्याओं व प्रशासन की हीटलरगिरी को लेकर इस भीषण गर्मी में धरने पर बैठे विद्यार्थियों की सुध नहीं ले रहे हैं, ऐसे कुलपति को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही कुलपति को चेताया कि अगर जल्द सभी मांगें नहीं मानी गई तो पूरे प्रान्तभर में कुलपति के पुतले फूंके जाएंगे। विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष रामूराम जाणी ने बताया कि विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रिया में धांधली, सरकारी पैसे के दुरुपयोग को लेकर एबीवीपी जल्द बड़ा खुलासा करेगी।